यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी के माह 05/2005 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार-सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी व र व प्रताप संह यादव- व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.08.2017 से 19.08.2017 तक श्री हनुमान संह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री .... सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक (प्रथम लेखापरीक्षा) से ------- तक श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह (प्रथम लेखापरीक्षा) से .... तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2005 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप : महायोजना तैयार कया जाना एवं तकनीकी परामर्श तथा अन्य कार्य।

भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कुमायूं मण्डल

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	शून्य	शून्य	9910182	9910182	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	11352092	11352092	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	10792272	10792272	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (जुलाई तक)	शून्य	शून्य	11485900	4558363	शून्य	शून्य	---	6927537

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
	शून्य				

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. स चव (आवास वभाग)
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
3. वरिष्ठ नियोजक
4. सहयुक्त नियोजक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2009, 09/2009, 04/2013, 08/2014, 03/2016 एवं 05/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर-1 : कार्यालय भवन कराए में रु 10710 का अ धक भुगतान।

इकाई सहयुक्त नियोजक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी के कार्यालय भवन कराया संबंधी अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क शासनादेश के अनुसार इस कार्यालय को कराए के भवन ' वमल कुंज, रूप नगर, हल्द्वानी, नैनीताल' में स्थानांतरित कए जाने तथा उक्त भवन का कराया रु 5000/- प्रति माह की दर से दिये जाने की अनुमति दी गई थी (मई, 1999)। हलां क जिला अ धकारी, नैनीताल द्वारा इस भवन को रु 4.00 प्रति वर्ग फुट की दर से कराए पर लए जाने की संस्तुति दी थी (अप्रैल 1998)।

आगे अ भलेखों में पाया गया क भवन स्वामी द्वारा कराए हेतु उपलब्ध स्थान का नक्शा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था जिसमें भवन स्वामी द्वारा दी गयी मापों के अनुसार उपलब्ध कार्पेट एरिया 1434 वर्ग फुट दिखाया गया था। इकाई द्वारा भवन स्वामी द्वारा दिये गए कार्पेट एरिया पर ही शासन द्वारा निर्धारित दर रु 5000/माह की दर से भुगतान कया जाने लगा था। परंतु शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 मार्च 2007 के अनुसार दिनांक 1/6/2002 से दिनांक 31/5/2005 तक भवन का कराया जिला धकारी, नैनीताल द्वारा निर्धारित दर रु 4.00 प्रति वर्ग फुट (1434x4.00=रु 5736.00) की दर से प्रतिमाह रु 5736 के आधार पर भुगतान कए जाने हेतु स्वीकृत कया गया था। और दिनांक 1/6/2005 से जिला धकारी द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई दर रु 5.60 प्रति वर्गफुट की दर (1434x5.60=रु 8030.00) दर से प्रतिमाह रु 8030 के आधार पर भुगतान कए जाने हेतु स्वीकृत कया गया था (मार्च 2007)। जिसके एरिअर के भुगतान कए गए थे। और शासनादेश के बाद से बढ़ी हुई दरों से भवन स्वामी को भुगतान कया गया था।

इसी प्रकार दिनांक 1/6/2010 से रु 8.40 प्रति वर्गफुट की दर से दिनांक 31/5/2010 तक और दिनांक 1/6/2015 से रु 21 प्रति वर्गफुट की दर से दिये जाने की संस्तुति शासन द्वारा दी गई थी (सतंबर 2010, जनवरी 2016)। और संस्तुति के आधार पर एरिअर का भुगतान कया गया था और शासनादेश के बाद से बढ़ी हुई दर से भुगतान कया गया था।

परंतु लेखा परीक्षा के दौरान भवन स्वामी द्वारा दिये गए नक्शे में दी गई माप की जांच में पाया गया क मौजूद कार्पेट एरिया 1427 वर्गफुट ही है (1427 वर्गफुट की गणना संलग्न)। जब क वर्तमान तक (जुलाई 2017) 1434 वर्गफुट के हिसाब से भुगतान कया गया था। इस प्रकार 07 वर्गफुट कार्पेट एरिया का अ धक भुगतान कया गया और अ धक भुगतान की गयी रा श का ववरण निम्न ता लका के अनुसार है।

अव ध	कुल माह	दर	अ धक कार्पेट एरिया (वर्गफुट)	कुल अ धक भुगतान (रु में)
1/6/2002 से 31/5/2005	36	4.00	7.00	1008.00
1/6/2005 से 31/5/2010	60	5.60	7.00	2352.00
1/6/2010 से 31/5/15	60	8.40	7.00	3528.00
1/6/2015 से 31/7/2017	26	21.00	7.00	3822.00
योग				10710.00

उक्त ता लका से स्पष्ट है की समयाव ध माह जून 2002 से जुलाई 2017 के दौरान कुल रु 10710 की धनरा श का अ धक भुगतान कराए के रूप में कया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया क तत्समय कोई भन्नता हुई है तो वर्तमान में उ चत कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क भवन को कराए पर लए जाने के समय ही उ चत कार्यवाही ‘अर्थात भवन स्वामी द्वारा कमरों की दी गयी माप की जांच कर कार्पेट एरिया की गणना’ कर ली गयी होती तो अ धक भुगतान से बचा जा सकता था।

अतः उक्त प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

1427 वर्गफुट कार्पेट एरिया की गणना

(12"(इंच) =1' (फीट इस लए 1" (इंच) = 1'/12(फीट)= 0.0833' (फीट)

क्र.सं.	भवन स्वामी द्वारा नक्शे में दी गयी कमरों की माप	इंच को फीट में बदलने के बाद माप	एरिया वर्ग फीट में
1.	8.0' X 7'.5"	0.8'. X 7.4165'	59.3320
2.	8.0' X 11'.0"	8.0' X 11.0'	88.0000
3.	12'.1" X 10'.5"	12.0833' x 10.4165'	125.8656
4.	14'.2" X 14'.6"	14.1666' x 14.4998'	205.4128
5.	6.0' X 17.0'	6.0' x 17.0'	102.0000
6.	11'.2" X 11.0'	11.1666' x 11.0'	122.8326
7.	10'.3" X 11'.4"	10.2499' x 11.3332'	116.1641
8.	16'.4" X 7'.2"	16.3332' x 7.1666'	117.0535
9.	11'.7" X 21.0'	11.5831' x 21.0'	243.2451
10.	27'.5" X 9.0'	27.4165' x 9.0'	246.7485
योग			**1426.6542** **Say 1427.00** वर्ग फीट

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- 2 - उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के वपरीत क्रय, रु. 2.03 लाख।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ऐसी सामग्री जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों। दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर संविदा की जा सकती है।

कार्यालय के क्रय संबंधी अ भलेखों की जाँच में पाया गया की सामान्य स्टेशनरी का क्रय दर अनुबंध द्वारा कया जा रहा है परंतु कम्प्युटर स्टेशनरी मद में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 (जुलाई तक) में कुल रु. 2.03 लाख धनरा श की साम ग्रयों का क्रय दर सं वदा के द्वारा न करके वर्ष में कई बारकोटेशन के माध्यम से की गयीं थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आप त स्वीकार करते हुए बताया गया क भ वष्य में साम ग्रयों का क्रय दर सं वदा के अनुसार कया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

अतः उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के वपरीत रु. 2.03 लाख की धनरा श के साम ग्रयों के क्रय का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-**III**</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…………………शून्य…………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव धि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   शून्य

3. लेखापरीक्षा अव धि में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव धि
1	श्री एस.के. पंत	सहयुक्त नियोजक	06/1998 से 30.09.09
2	श्री बी.पी. शर्मा	सहयुक्त नियोजक	01.10.09 से 22.12.12
3	श्री एस. एम. श्रीवास्तव	सहयुक्त नियोजक	23.12.12 से 13.07.14
4	श्री टमस लेप्चा	सहयुक्त नियोजक	14.07.14 से 12.08.15
5	श्रीमति गीता खुल्बे	सहयुक्त नियोजक	12.08.15 से 26.06.16
6	श्री एस. एम. श्रीवास्तव	सहयुक्त नियोजक	27.06.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन वभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र